



## बोडश बिहार विधान सभा

### त्रयोदश सत्र ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-08.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग			
1	2	3	4			
1	श्री जिवेश कुमार, स०वि०स०	बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 की नियम 23(1/च)(2ड.) में प्रावधान किया गया है कि "उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के किसी संव्यवहार से सम्बंधित कोई दाँड़िक कार्यवाही लम्बित हो, जिसमें संज्ञान ले लिया गया हो तथा नियम 24-प्रबंध समिति का कोई सदस्य अपने पद पर नहीं रह सकेगा, यदि नियम-23 में उल्लिखित कोई भी अयोग्यता आ जाय।" इस नियम का गलत व्याख्या कर निर्वाचित मंत्री/अध्यक्ष पर संज्ञान कराकर उसे अयोग्य स०वि०स०	सहकारिता			
2	श्री मुधांशु शेखर, स०वि०स०	श्री विद्या सागर केशरी, स०वि०स०	रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के किसी संव्यवहार से सम्बंधित कोई दाँड़िक कार्यवाही लम्बित हो, जिसमें संज्ञान ले लिया गया हो तथा नियम 24-प्रबंध समिति का कोई सदस्य अपने पद पर नहीं रह सकेगा, यदि नियम-23 में उल्लिखित कोई भी अयोग्यता आ जाय।" इस नियम का गलत व्याख्या कर निर्वाचित मंत्री/अध्यक्ष पर संज्ञान कराकर उसे अयोग्य नियम-23(1/च)(2ड.) 24 के प्रावधान में संशोधन करते हुए संज्ञान के स्थान पर सजायापता जोड़ने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी		
3	श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, स०वि०स०	श्री मनोज कुमार, स०वि०स०	श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स०	श्री बविंदर सिंह, स०वि०स०	अतः बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 की नियम 23(1/च)(2ड.), 24 के प्रावधान में संशोधन करते हुए संज्ञान के स्थान पर सजायापता जोड़ने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	संशोधन
4	श्रीमती बेबी कुमारी, स०वि०स०					

बटेश्वर नाथ पाण्डेय  
सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/19-

720

/ विंस०, पटना, दिनांक-05 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग तथा सहकारिता विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबाईं हेतु प्रेषित ।

५/७/१९  
(पांडव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/19-

720

/ विंस०, पटना, दिनांक ०५ जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को  
क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

५/७/१९  
(पांडव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

५/७/१९